<u>न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–569/2026
Computer Registration No.1193/2026
CNR No. UPFZ0–1003511–2026

जमाल अख्तर उर्फ गोगे पुत्र मजीद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खजुरी, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी .....आवेदक/अभियक्तु।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

मु०अ०सं० 332/2025,
धारा 103(1), 238 (ए) बी.एन.एस.
धारा 4/25 आयुध अधिनियम,
थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या।

<u>जमानत आदेश</u>

(1) आवेदक/अभियुक्त **जमाल अख्तर उर्फ गोगे** द्वारा उक्त जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483(1) बी.एन.एस.एस, मु०अ०सं० 332/2025, धारा 103(1), 238 (ए) भा०न्याय०सं० व धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया।

(2) जमानत आवेदन पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में न तो दिया गया है, न निर्णीत हुआ है और न ही विचाराधीन है।

(3) संक्षेप में अभियोजन के अनुसार दिनांक 20.12.2025 को समक्ष प्रभारी निरीक्षक थाना पटरंगा जिला अयोध्या वादी रवीन्द्र सिंह ने इस आशय की तहरीर दी कि "दिनांक 20.12.2025 को समय सुबह 9 AM बजे वह अपने घर से गांव के बाहर गेरौण्डा जाने वाले मार्ग पर, मायनर नहर के पास स्थित अपने खेत जा रहा था, जैसे ही मायनर नहर से आगे बढ़ा की शत्रोहन के गन्ना खेत के सामने, रोड पटरी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला मृत्यु शव पड़ा था, सिर धड़ से अलग था तथा पहचान में नहीं आ रहा था।

वादी रवीन्द्र सिंह की उक्त तहरीर पर थाना पटरंगा जिला अयोध्या में उक्त अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत होकर विवेचना, विवेचक ने मय पुलिस बल मौके पर पहुँचकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु शव भेजा गया। तत्पश्चात दिनांक 20.12.2025 को शाह आलम व अन्य निवासी थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी द्वारा मालखाना से निकलवाये गये साक्ष्यों (घड़ी, जली हुई जैकेट आदि, शव के फोटो) के आधार पर मृतक की पहचान तारिक के रूप में हुई, जो कि दिनांक 19/20.12.2025 की रात समय करीब 02.30 बजे गांव के ही जमाल अख्तर उर्फ गोगे के साथ निकला था। तत्पश्चात शाह आलम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अब्दुल व सह अभियुक्त जमाल अख्तर उर्फ गोगे का नाम प्रकाश में आया। तत्पश्चात दिनांक 22.12.2025 को विवेचक ने मय पुलिस बल विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण जमाल अख्तर व अब्दुल को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल के साथ दरियाबाद रेलवे स्टेशन के पास आल्हनमऊ रोड़ पर सिराज प्रधान की आम की बाग के पास से पल्सर मोटरसाइकिल UP42Y6759 के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशादेही पर एक अदद आलाकत्ल चाकू पुलिस ने बरामद किया। उक्त फर्द बरामदगी व वादी की 2 तहरीर के आधार पर अभियुक्त का नाम हत्या के इस प्रकरण में प्रकाश में आना कहा गया है।

(4) आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। नामजद अभियुक्त नहीं है। शव बरामदगी स्थल से ऐसा कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता अपराध कारित करने में प्रमाणित हो। घटना का कोई चश्मदीद

साक्षी नहीं है। मृतक तारिक की हत्या करने का जो मोटिव दिखाया गया है वह हत्या करने के लिए सशक्त हेतुक नही है। शाह आलम जो मृतक का भाई है, ने जो प्रार्थना पत्र थाना पटरंगा में दिया है उसमे उसने कथन किया है कि " मेरा भाई तारिक पहले कई बार बताया था कि जमाल अख्तर उर्फ गोगे व अब्दुल साथ मे तो रहते हैं लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से दोनों लोग खिलाने पिलाने को लेकर बहुत रंजिश मानते है और कहते है कि लगड़े तुम बराबर भागीदारी नहीं कर रहे हो इसका परिणाम किसी दिन भुगतोगे। बराबर लंगड़ा लंगड़ा कहकर मुझे चिढ़ाते है। मैंने भी कई बार झगड़ते देखा है। " प्रार्थी का नाम उपर्युक्त प्रकरण में संदेह के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही पर जो बरामदगी दिखाई गई है वह विवेचक द्वारा फर्जी ढंग से प्लान्ट की गई है। प्रार्थी निर्धन एवं असहाय व्यक्ति है उसके अनुरोध पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन कार्यरत एल.ए.डी.सी.एस से सरकारी अधिवक्ता डिप्टी चीफ LADC श्री कुलशेखर सिंह द्वारा विधिक पैरवी की जा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

(5) विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से पहने हुआ कुर्ता व आलाकत्ल बरामद हुआ है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व वीडियोग्राफी की गयी है। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण हत्या जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है, अभियुक्त जमानत का अधिकारी नहीं है।

(6) सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर शाह आलम के भाई की हत्या करने व शव को छुपाने का आरोप लगाया गया है। वादी मुकदमा रवीन्द्र सिंह द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 20.12.2025 को समय सुबह 9 AM बजे वह अपने घर से गांव के बाहर गेरौण्डा जाने वाले मार्ग पर, मायनर नहर के पास स्थित अपने खेत जा रहा था, जैसे ही मायनर नहर से आगे बढ़ा की शत्रोहन के गन्ना खेत के सामने, रोड पटरी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला मृत्यु शव पड़ा था, सिर धड़ से अलग था तथा पहचान में नहीं आ रहा था। बाद विवेचना दिनांक 20.12.2025 को मृतक की पहचान उसके भाई शाह आलम द्वारा (घड़ी, जली हुई जैकेट आदि, शव के फोटो) के आधार पर की गई है। केस डायरी में अंकित शाह आलम के बयान के अनुसार उसका भाई तारिक दिनांक 19/20.12.2025 की रात समय करीब 2.30 बजे गांव के ही जमाल अख्तर उर्फ गोगे एवं अब्दुल के साथ अब्दुल की मो०सा० पल्सर नं० यू.पी. 42 वाई 6759 से घर से निकला था जो सुबह तक घर वापस नहीं आया। काफी खोजबीन की परन्तु कुछ पता नहीं चला। दिनांक 21.12.2025 को अकबार, सोशल मीडिया व गांव के लोगों से जानकारी मिली कि थाना पटरंगा क्षेत्र अन्तर्गत मुरादाबाद में एक अधजला अज्ञात पुरूष का शव मिला है। इस जानकारी पर मैं अपने गांव के आफताब आलम, मतीन अहमद, महताब अहमद एवं परवेज के साथ थाना पटरंगा आया और शव के पास से बरामद घड़ी, कपडों एव शव के फोटो को देखकर मैने पहचान लिया कि यह मेरे भाई तारिक का ही शव है। मेरा भाई तारिक पहले कई बार बताया था कि जमाल अख्तर उर्फ गोगे व उब्दुल साथ मे तो रहते है लेकिन जब से मेरा एक्सीडेन्ट हआ है तब से दोनो लोग खिलाने पिलाने को लेकर बहुत रंजिश मानते है और कहते है कि लगडे तुम बराबर भागीदारी नही कर रहे हो। इसका परिणाम किसी दिन भुगतोगे। बराबर लंगडा लंगडा कहकर मुझे चिढाते है। मैंने भी उन लोगो को कई बार झगडते हुए देखा था मेरे भाई तारिक का करीब 1 माह पहले एक्सीडेन्ट हआ था जिसमें मेरे भाई तारिक के पैर में चार प्लेटे लगी थी। दिनांक 19/20.12.25 की समय 02.30 बजे जमाल अख्तर उर्फ गोगे व अब्दल उपरोक्त दोनो लोगो के साथ अब्दुल की मोसा संख्या UP42Y6759 पल्सर नीले रंग से मेरा भाई तारिक घर से निकला था। अब्दुल व जमाल अख्तर उर्फ गोगे ने पड़ोस के ही मतीन अहमद के यहां से रात करीब 2.30 बजे 100 रूपये का पेट्रोल भी मोटर साइकिल में डलवाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्ही दोनो लोगो ने ग्राम मुरादाबाद से गेरौण्डा जाने वाली सडक के किनारे नहर के पास धारदार हथियार से मेरे

भाई का गला काटकर हत्या कर दी एवं पहचान को छिपाने के लिए पेट्रोल व पुआल डालकर आग से जला दिया था। दोनो लाइटर जो आपने मौके से बरामद किया है वह जमाल अख्तर उर्फ गोगे व अब्दुल के ही है जिन्हे मै भली भांति पहचान रहा हूं। अपराध से सम्बन्धित बरामदगी अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने पर आवेदक/अभियुक्त की निशानदेही पर की गई है। अधजला शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "**DUE TO AND HAEMORRHAGE SHOCK AS A RESULT OF ANTEMORTEM AMPUTATION OF NECK INJURY**" बताया गया है। सहअभियुक्त अब्दुल की जमानत पूर्व मे निरस्त की जा चुकी है। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास बताया गया है जो इस प्रकार है– (1) अपराध संख्या 217/2025, थाना पटरंगा, धारा 352, 351(3) बी.एन.एस. व धारा 3(2)5 क एस.सी.एस.टी एक्ट, जिला अयोध्या (2) अपराध संख्या 544/2024, थाना टिकैतनगर, धारा 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., जिला बाराबंकी (3) अपराध संख्या 198/2024, थाना टिकैतनगर, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, जिला बाराबंकी। प्रकरण हत्या कर सबूत छूपाने के उद्देश्य से शव को आग लगाने जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है, अभियुक्त ने जो कथन किये हैं, वह अपने बचाव में किये है, इस स्तर पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **जमाल अख्तर उर्फ गोगे** द्वारा मु०अ०सं० 332/2025, धारा 103(1), 238(ए) भा०न्याय०सं० व धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना पटरंगा, जनपद अयोध्या के प्रकरण में प्रस्तुत यह जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–05.06.2026

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 1, अयोध्या